कार्यालय जनपद न्यायाधीश, अमरोहा।

सार्वजनिक नीलामी सूचना

ज़िला न्यायालय परिसर अमरोहा में उपलब्ध निष्प्रयोज्य फर्नीचर तथा उपकरणों जिसका मूल्यांकन अंकन रूपये 31865/-रूपये (इक्कतीस हज़ार आठ सौ पैसठ रूपये) अधिशासी अभियन्ता, वि0/या0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग मुरादाबाद द्वारा किया गया है, की नीलामी दिनांक 15.02.2025 को केन्द्रीय नज़ारत अनुभाग के सामने अपरान्ह 04:30 बजे नीलामी समिति जनपद न्यायालय अमरोहा की उपस्थिति में की जायेगी।

नीलामी हेतु इच्छुक व्यक्ति उक्त निष्प्रयोज्य उपकरणें/फर्नीचर का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक केन्द्रीय नज़ारत अनुभाग अमरोहा से सम्पर्क स्थापित कर, कर सकते है। नीलामी के नियम व शर्ते निम्नवत है।

1. नीलामी समिति किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकती है। अन्तिम बोली की स्वीकृति माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा की जायेगी।

2. प्रत्येक बोली बोलने वाले को नीलामी में भाग लेने से पूर्व 10000/-रूपये केन्द्रीय नज़ारत अनुभाग में नकद जमा करनें होगें। नीलामी समाप्त होने पर जिन व्यक्तियों की बोली अस्वीकृत होगी उसकी उक्त धनराशि तुरंत वापस कर दी जायेगी।

3. नीलामी की कार्यवाही में कोई व्यक्ति किसी अन्य की ओर से बोली के लियें तब तक अनुज्ञात नही किया जायेगा जब तक बोली लगाने के लिये उपस्थित व्यक्ति ने उस व्यक्ति से जिसकी ओर से वह बोली लगाना चाहता है, प्राधिकार न प्राप्त किया हो।

4. बोली बोलने वालो का यह उत्तरदायित्व होगा कि बोली से पूर्व निष्प्रयोज्य उपकरणों का विधिवत निरीक्षण कर लें।

5. जिस बोलीदाता की अंतिमबोली स्वीकार की जायेगी उसे बोली की एक तिहाई धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी तथा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अंतिम बोली स्वीकृति प्राप्त होने पर अधिक बोली बोली बोलने वाले को एक सप्ताह में शेष धनराशि जमा करनी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी व निष्प्रशेज्य उपकरणों को पुनः नीलाम किया जायेगा।

6. अधिकतम बोलीदाता द्वारा लगायी गयी अधिकतम अंतिम बोली में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 जोड़ी जायेगी जो कि बोलीदाता द्वारा नियमानुसार अदा करनी होगी।

7. निष्प्रयोज्य सामग्री की अंतिम बोली माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा स्वीकृति होने अथवा अन्तिम कार्यवाही होने तक, जो बाद में हो, होने तक निष्प्रयोज्य सामग्री हस्तगत नही की जायेगी।

8. निष्प्रयोज्य उपकरण जहां है जैसा है कि स्थिति में नीलाम तथा हस्तगत की जायेगी।

9. नीलाम की गयी निष्प्रयोज्य उपकरण को उच्चतम बोली बोलने वाले को पूर्ण धनराशि का भुगतान करनें पर ही उक्त उपकरण सुपुर्द किये जायेगें। यदि नीलामी की शर्तो के विषय में कोई विवाद उठता है तो माननीय जनपद न्यायाधीश अमरोहा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

10. नीलामी के समबन्ध में किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही जनपद अमरोहा में स्थित सक्षम न्यायालय में ही की जायेगी।

31.01.25

(संजय चौधरी)
विशेष सत्र न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
अध्यक्ष, नीलामी समिति
ज़िला न्यायालय अमरोहा।